



Neutral Citation No-2026:AHC:7447

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 3397 वर्ष 2025

विनोद और 9 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 8 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: पुनीत कुमार वर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: आशुतोष कुमार सिंह, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, कैविएटर/प्रतिपक्षी संख्या-7 के अधिवक्ता और राज्य-प्रतिपक्षी संख्या-1 और 2 के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 16.12.2024 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत प्रतिपक्षियों की ओर से दायर पुनरीक्षण की अनुमति दी गई थी और बाद में दिनांक 30.05.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर समीक्षा आवेदन में उक्त आदेश की पुष्टि की गई थी।
3. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि समेकन के निपटान अधिकारी ने दिनांक 06.01.1998 के आदेश के माध्यम से प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने बहाली का आवेदन दायर किया। चकबंदी के निपटान अधिकारी ने दिनांक 28.11.1998 के आदेश के तहत बहाली आवेदन की अनुमति दी है, और इस मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए चकबंदी अधिकारी के समक्ष भेज दिया है। दिनांक 28.11.1998 के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिपक्षियों ने पुनरीक्षण दायर किया। चकबंदी के उप निदेशक ने दिनांक 16.12.2024 के आदेश के माध्यम से संशोधन की अनुमति दी और दिनांक 28.11.1998 के आदेश को रद्द कर दिया। व्यथित होने के बाद, प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक 16.12.2024 के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की। चकबंदी के उप निदेशक ने 30.05.2025 के अपने आदेश के माध्यम से समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया है; इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 16.12.2024 और 30.05.2025 के आदेशों को खारिज करते हुए प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है।

4. दिनांक 28.11.1998 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपील की अनुमति दी गई थी और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए चकबंदी अधिकारी के समक्ष भेज दिया गया था। चकबंदी के उप निदेशक ने दिनांक 06.01.1998 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिकॉल आवेदन को समीक्षा आवेदन के रूप में माना है; तदनुसार, संशोधन की अनुमति दी गई और दिनांक 28.11.1998 के आदेश को रद्द कर दिया।

5. प्रतिपक्षियों के अधिवक्ता ने बताया है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं ने पहले ही दिनांक 06.01.1998 के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है। इसलिए, उनकी ओर से दायर प्रस्तुत रिट याचिका, बाद में दिनांक 06.01.1998 के आदेश को चुनौती देना कानून की नजर में विचारणीय नहीं है।

6. लंबे विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज करने का अनुरोध किया है।

7. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत रिट याचिका को वापस ले लिया गया के रूप में **खारिज** किया जाता है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 06.01.1998 के आदेश के खिलाफ प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले से ही पसंद किए गए पुनरीक्षण, विलंब माफी आवेदन के साथ, 16.12.2024 और 30.05.2025 के आदेशों में चकबंदी के उप निदेशक द्वारा दर्ज किसी भी निष्कर्ष से प्रभावित हुए बिना, अपनी योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा।

जनवरी 12, 2026

एमएन/-

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)